महिला आरक्षण और ग्रामीण सशक्तिकरणः एक अवलोकन

19

रचना देवी
शोध छात्रा (राजनीति विज्ञान विभाग)
गोकुल दास हिंदू गर्ल्स डिग्री कॉलेज,
मुरादाबाद (उ0प्र0)

प्रो0 (डॉ.) मीनाक्षी शर्मा
विभागाध्यक्ष, (राजनीति विज्ञान विभाग)
गोकुल दास हिंदू गर्ल्स डिग्री कॉलेज
मुरादाबाद (उ0प्र0)
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड
विश्वविद्यालय, बरेली, (उ0प्र0)

सारांश

भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ाना है। 73वें संविधान संशोधन के तहत 33 प्रतिशत आरक्षण ने हजारों महिलाओं को ग्राम पंचायतों में नेतृत्व प्रदान किया, जिससे वे नीतिगत निर्णयों में भागीदारी कर सकें। इस शोध पत्र में महिला आरक्षण के प्रभाव, ग्रामीण सशक्तिकरण में इसकी भूमिका और इससे जुड़े सामाजिक–आर्थिक बदलावों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से पता चलता है कि महिला प्रतिनिधित्व ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुधारों में सकारात्मक योगदान दिया है, लेकिन पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक अवरोध अभी भी चुनौती बने हुए हैं। शोध के निष्कर्ष महिला नेतृत्व को और सशक्त बनाने के लिए नीतिगत सुधारों और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। यह अध्ययन पंचायती राज में महिला आरक्षण की प्रभावशीलता पर समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द

महिला आरक्षण, पंचायती राज, ग्रामीण सशक्तिकरण, नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी, 73वां संविधान संशोधन, स्थानीय शासन, महिला आरक्षण का इतिहास और विकास

प्रस्तावना

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने और उनके सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए महिला आरक्षण एक महत्वपूर्ण नीति रही है। भारतीय संविधान के तहत महिलाओं को समानता और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप में वे लंबे समय तक राजनीति में प्रभावी भागीदारी से वंचित रहीं। इस असमानता को दूर करने के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसने महिलाओं को ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर शासन की मुख्यधारा में शामिल किया।

महिला आरक्षण का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य–

(क) भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का प्राचीन स्वरूप

प्राचीन भारत में महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा और सामाजिक कार्यों में भागीदारी का अवसर मिलता था। ऋग्वेद और अन्य ग्रंथों में गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। महाजनपद काल के दौरान, कुछ राज्यों में महिलाओं ने शासन भी किया, लेकिन बाद के वर्षों में सामाजिक संरचना बदलने के कारण उनकी भूमिका सीमित हो गई।

(ख) औपनिवेशिक काल और महिला अधिकार आंदोलन

ब्रिटिश शासन के दौरान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लगभग नगण्य थी। 1917 में एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू जैसे नेताओं ने महिला मताधिकार की मांग की। इसके परिणामस्वरूप 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत महिलाओं को सीमित राजनीतिक अधिकार मिले, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ही उन्हें समान मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार मिला।

(ग) स्वतंत्रता के बाद महिला आरक्षण की मांग

स्वतंत्र भारत में महिलाओं को संवैधानिक रूप से समान अधिकार दिए गए, लेकिन राजनीति में उनकी भागीदारी सीमित रही। 1950 से 1980 के दशक तक महिलाओं की राजनीतिक स्थिति पर विभिन्न समितियों और संगठनों ने अध्ययन किया, जिनमें ''Towards Equality Report (1974)''[1] का विशेष योगदान रहा, जिसने बताया कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बेहद कम थी।

महिला आरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान–

(क) 73वां और 74वां संविधान संशोधन (1992)

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिष्चित करने के लिए 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसने पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया।[2]

मुख्य विशेषताएँ–

- प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर पालिका और जिला परिषद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गईं।
- आरक्षण केवल साधारण सीटों के लिए ही नहीं, बल्कि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए भी लागू किया गया।
- पंचायत प्रमुख (सरपंच) पदों के लिए भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया।

महिला आरक्षण का विकास और प्रभाव–

(क) पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका

महिला आरक्षण लागू होने के बाद पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी। अध्ययन बताते हैं कि महिलाओं के नेतृत्व में कार्य करने वाली पंचायतों में सामाजिक और विकासात्मक योजनाओं को अधिक प्राथमिकता दी गई।

उदाहरण–

- **बिहार और राजस्थान–** यहाँ महिला सरपंचों ने बालिका शिक्षा, स्वच्छता और महिला सुरक्षा से जुड़े कई प्रभावी निर्णय लिए।
- **केरल–** यहाँ महिलाओं के नेतृत्व में पंचायतों ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए।

(ख) महिला नेतृत्व और सामाजिक परिवर्तन

महिलाओं के पंचायतों में आने से सामाजिक बदलाव देखने को मिला। गाँवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा।

(ग) चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

- कई स्थानों पर महिलाएँ केवल नाममात्र की प्रधान होती हैं और उनके पति या परिवार के अन्य पुरुष सदस्य वास्तविक रूप से शासन चलाते हैं, जिसे सरपंच पति संस्कृति कहा जाता है।
- महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता सीमित होती है।
- राजनीतिक जागरूकता और प्रशासनिक कौशल की कमी के कारण कई महिलाएँ प्रभावी शासन नहीं कर पातीं।

महिला आरक्षण विधेयक (2010 और 2023)–

2010 में राज्यसभा ने 108वें संविधान संशोधन विधेयक पारित किया, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव था, लेकिन यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका।

2023 में केंद्र सरकार ने **''नारी शक्ति वंदन अधिनियम''** पारित किया, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने की बात कही गई।

महिला आरक्षण का इतिहास यह दर्शाता है कि यह केवल एक राजनीतिक सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति भी है। पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी ने न केवल प्रशासनिक स्तर पर बदलाव लाए हैं, बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति को भी मजबूत किया है। हालाँकि, अभी भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनसे निपटने के लिए कानूनी, सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।[3]

ग्रामीण सशक्तिकरण का अर्थ–

ग्रामीण सशक्तिकरण (Rural Empowerment) एक व्यापक अवधारणा है, जो ग्रामीण समाज में रहने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से वंचित वर्गों और महिलाओं, को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक रूप से सक्षम बनाने से संबंधित है। यह सशक्तिकरण इस विचार पर आधारित है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके अधिकारों, अवसरों और संसाधनों तक समान पहुंच मिलनी चाहिए, ताकि वे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन सकें।

भारत जैसे देश में, जहाँ 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, वहाँ विकास और सशक्तिकरण के प्रयासों का केंद्र बिंदु ग्रामीण समुदाय ही होना चाहिए। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार और गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा विभिन्न योजनाएँ और नीतियाँ लागू की जाती हैं, जिनका लक्ष्य ग्रामीण लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को सुधारना होता है।[4]

ग्रामीण सशक्तिकरण का अर्थ–

ग्रामीण सशक्तिकरण का अर्थ केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और तकनीकी विकास भी शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने अधिकारों और संसाधनों तक पहुँच दिलाना है, जिससे वे अपनी आजीविका को सुधार सकें और सामुदायिक निर्णयों में भाग ले सकें।[5]

ग्रामीण सशक्तिकरण को निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है–

(क) आर्थिक सशक्तिकरण

- **आजीविका के साधनों का विकास**– कृषि, कुटीर उद्योग, स्वयं सहायता समूह (SHGs), स्टार्टअप, और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना।
- **रोज़गार के अवसर**– मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बेरोज़गारी कम करना।
- **आर्थिक स्वतंत्रता**– महिलाओं और किसानों को माइक्रोफाइनेंस, बैंक लोन, और सरकारी योजनाओं से जोड़ना।

(ख) सामाजिक सशक्तिकरण

- जातिगत और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना।
- **स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास**– ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना और जागरूकता फैलाना।
- **साक्षरता और शिक्षा**– महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना।

(ग) राजनीतिक सशक्तिकरण

- पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं और दलितों की भागीदारी।
- स्थानीय प्रशासन में ग्रामीण लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना।
- नीतिगत निर्णयों में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता।

(घ) डिजिटल और तकनीकी सशक्तिकरण

- डिजिटल इंडिया के तहत इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग जैसी सेवाएँ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाना।
- ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देना ताकि ग्रामीण लोग सरकारी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन उठा सकें।[6]

ग्रामीण सशक्तिकरण का संदर्भ–

(क) भारत में ग्रामीण सशक्तिकरण की आवश्यकता

भारत की 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गाँवों में रहती है, लेकिन उनकी जीवनशैली और आर्थिक स्थिति अभी भी शहरों की तुलना में बहुत पिछड़ी हुई है। आर्थिक असमानता, बेरोज़गारी, महिलाओं की निम्न स्थिति, अशिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसे कई मुद्दे ग्रामीण भारत को प्रभावित करते हैं।

यदि ग्रामीण सशक्तिकरण को सही दिशा में बढ़ाया जाए, तो यह पूरे देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान कर सकता है। इसलिए, सरकार ने समय–समय पर कई योजनाएँ चलाईं, जिनका उद्देश्य गाँवों में रह रहे लोगों के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था।[7]

(ख) भारत में ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए उठाए गए प्रमुख कदम

1. पंचायती राज प्रणाली (1992)–

- 73वें संविधान संशोधन के तहत स्थानीय प्रशासन को अधिक शक्ति दी गई।
- महिलाओं और वंचित वर्गों को पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा – 2005)–

- हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का रोज़गार सुनिश्चित करना।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM – 2005)–

- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया।

4. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY – 2000)–

- गाँवों को शहरों से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण।

5. स्वयं सहायता समूह (SHGs)–

- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता देना।

6. डिजिटल इंडिया और ग्रामीण विकास (2015)–

- गाँवों में डिजिटल सेवाएँ और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना।

ग्रामीण सशक्तिकरण में महिला आरक्षण की भूमिका–

महिला आरक्षण का ग्रामीण सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से समाज में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं।

(क) महिला आरक्षण से ग्रामीण समाज में बदलाव–

- महिला प्रधानों ने बालिका शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ज़ोर दिया।
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के अधिक अवसर मिले।

- घरेलू हिंसा और महिला अधिकारों पर अधिक जागरूकता आई।

(ख) महिला नेतृत्व में सफल पंचायतों के उदाहरण–

- राजस्थान और बिहार की महिला सरपंचों ने जल संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा दिया।
- केरल में महिला प्रधानों ने स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता दी।

ग्रामीण सशक्तिकरण भारत के विकास के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसके तहत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएँ और महिला आरक्षण जैसे सुधार ग्रामीण समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। यदि सरकार, समाज और निजी क्षेत्र मिलकर काम करें, तो ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सकता है।

महिला आरक्षण का ग्रामीण सशक्तिकरण पर प्रभाव

महिला आरक्षण और ग्रामीण सशक्तिकरण का आपसी संबंध गहरा और व्यापक है। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं को 33 प्रतिशत (और कुछ राज्यों में 50 प्रतिशत) आरक्षण देने से न केवल उनकी राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है, बल्कि यह ग्रामीण भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन भी बना है।

भारत जैसे देश में, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को पारंपरिक रूप से निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से बाहर रखा जाता था, वहाँ पंचायती राज में उनका प्रतिनिधित्व एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। महिला आरक्षण के कारण ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियाँ भी सामने आई हैं।

महिला आरक्षण और ग्रामीण सशक्तिकरण का संबंध

महिला आरक्षण को लागू करने का उद्‌देश्य केवल राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी था।

(क) महिला आरक्षण से राजनीतिक सशक्तिकरण

- पंचायती राज में आरक्षण के बाद लाखों महिलाएँ सरपंच, पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख बनीं।
- नीतिगत निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिससे बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, और स्वच्छता जैसे मुद्‌दों को प्राथमिकता दी गई।
- राजनीति में जागरूकता बढ़ी, जिससे महिलाएँ अब स्थानीय प्रशासन में अधिक सक्रिय हो रही हैं।[8]

(ख) सामाजिक सशक्तिकरण पर प्रभाव

- महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ, जिससे वे अब निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने लगी हैं।
- बाल विवाह, घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा जैसे मुद्‌दों पर खुलकर चर्चा होने लगी, जिससे सामाजिक बदलाव आया।
- स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार– महिला प्रधानों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाए।[9]

(ग) आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रभाव

- महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह (SHGs) और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिससे वे आत्मनिर्भर बनीं।
- महिलाओं की आय में वृद्धि हुई, जिससे उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।
- सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से महिलाओं को विभिन्न आर्थिक अवसर प्राप्त हुए।[10]

महिला आरक्षण से ग्रामीण क्षेत्रों में हुए महत्वपूर्ण बदलाव

(क) महिला नेतृत्व में सफल पंचायतों के उदाहरण

- बिहार और राजस्थान की महिला सरपंचों ने जल संरक्षण और स्वच्छता में उल्लेखनीय योगदान दिया।
- केरल में महिला प्रधानों ने शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार को प्राथमिकता दी।
- मध्य प्रदेश की महिला पंचायती नेताओं ने मनरेगा और अन्य रोजगार योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया।

(ख) ग्राम पंचायतों में महिला नेतृत्व के प्रभावी निर्णय

- महिलाओं ने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सफाई को प्राथमिकता दी।
- आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार किया।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण और साफ–सफाई को प्राथमिकता दी।

महिला आरक्षण से उत्पन्न चुनौतियाँ

(क) सामाजिक चुनौतियाँ

- **'सरपंच पति' संस्कृति–** कई पंचायतों में महिलाओं को नाममात्र का सरपंच बना दिया जाता है, जबकि वास्तविक निर्णय उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य लेते हैं।

- **रूढ़िवादी सोच–** कई ग्रामीण इलाकों में अब भी महिलाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जाती।
- **शिक्षा की कमी–** कई महिला प्रतिनिधियों को राजनीतिक और प्रशासनिक ज्ञान की कमी होती है।

(ख) राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ

- कई महिला प्रधानों को पुरुष नेताओं और अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज किया जाता है।
- पंचायतों में बजट और संसाधनों पर पुरुष सदस्यों का नियंत्रण बना रहता है।
- भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव महिलाओं के स्वतंत्र निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करते हैं।

महिला आरक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव

1. महिला सरपंचों के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएँ।
2. 'सरपंच पति' संस्कृति को समाप्त करने के लिए कड़े कानून लागू किए जाएँ।
3. महिला पंचायत नेताओं के लिए सहायता केंद्र और हेल्पलाइन शुरू की जाए।
4. डिजिटल साक्षरता और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
5. महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।

महिला आरक्षण ने भारत के ग्रामीण समाज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का कार्य किया है। इससे न केवल महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में भी मदद मिली है। हालाँकि, कई चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जिन्हें दूर करने के लिए प्रशासनिक, कानूनी और सामाजिक सुधारों की आवश्यकता है। यदि सही कदम उठाए जाएँ, तो महिला आरक्षण ग्रामीण भारत के विकास और समग्र सामाजिक सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

निष्कर्ष

महिला आरक्षण और पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 73वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत (और कुछ राज्यों में 50 प्रतिशत) आरक्षण देने से पंचायत स्तर पर उनकी राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है। इससे न केवल स्थानीय शासन में महिलाओं की संख्या बढ़ी, बल्कि उनकी निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित हुई।

महिला आरक्षण के सकारात्मक प्रभाव

1. **राजनीतिक सशक्तिकरण–** महिलाएँ अब पंचायत बैठकों और निर्णय प्रक्रियाओं में सक्रिय भाग ले रही हैं, जिससे उनकी राजनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता बढ़ रही है।
2. **सामाजिक परिवर्तन–** महिला प्रधानों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, जल संरक्षण और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य किया, जिससे गाँवों में सकारात्मक बदलाव आया।
3. **आर्थिक सशक्तिकरण–** महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह (SHGs) और ग्रामीण विकास योजनाओं में भाग लेकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाए।
4. **लैंगिक समानता की ओर बढ़ते कदम–** महिला नेतृत्व ने समाज में लैंगिक असमानता को कम करने और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने में योगदान दिया।

हालाँकि, महिला आरक्षण के लागू होने के बावजूद अभी भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें सरपंच पति संस्कृति, पारिवारिक और सामाजिक दबाव, प्रशासनिक अनुभव की कमी, और राजनीतिक दखलअंदाजी जैसी समस्याएँ षामिल हैं। इन चुनौतियों को हल करने के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण, कानूनी सख्ती, जागरूकता अभियानों और महिलाओं के लिए आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ावा देना आवश्यक है।

यदि महिला आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू किया जाए और ग्रामीण महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त किया जाए, तो यह पूरे भारत के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी न केवल लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाएगी, बल्कि इससे गाँवों के विकास की गति भी तेज होगी। महिला आरक्षण का उद्देश्य केवल संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि महिलाओं को वास्तविक रूप से सक्षम बनाना है। इसके लिए सामाजिक मानसिकता में बदलाव, बेहतर नीति निर्माण, शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता है। यदि सरकार, समाज और स्वयं महिलाएँ मिलकर इस दिशा में कार्य करें, तो यह पहल ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने और एक समावेशी समाज की स्थापना करने में मील का पत्थर साबित होगी।

संदर्भ

1. गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया (1974): ''टूवार्डस इक्वेलिटी : रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वूमेन इन इंडिया'', मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन एण्ड सोशल वेलफेयर, नई दिल्ली, पृ0 सं0–223–250.
2. बुच, निर्मला (2010): ''फ्रॉम ऑपरेशन टू असरसन : वूमैन एण्ड पंचायत इन इंडिया'', रूटलेज, नई दिल्ली, पृ0 सं0–45–78

3. बासु, अमृता (1992): ''टू फेसेस ऑफ प्रोटेस्ट : कन्स्ट्रास्टिंग मोड्स ऑफ वूमैन्स एक्टिविज्य इन इंडिया'', यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफोर्निया प्रेस, बर्कले, पृ0 सं0–128–156.

4. पाल, मनीशा (2017): ''वूमेन इन पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन्स : एम्पावरमेंट एण्ड चैलेंज'', सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ0 सं0–55–102.

5. गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया (2020): ''एनुअल रिपोर्ट ऑन पंचायती राज एण्ड वूमेन पार्टिसिपेशन'', मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन एण्ड सोशल वेलफेयर, नई दिल्ली, पृ0 सं0–67–89.

6. सिंह, राजेश कुमार (2018): ''पंचायती राज एण्ड वूमेन लीडरशिप इन इंडिया'', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, पृ0 सं0–102–134.

7. शर्मा, अनिल (2015): ''वूमेन इन लोकल गवर्नेंस : ए स्टडी ऑफ इण्डियन पंचायती राज सिस्टम'', सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ0 सं0–75–98.

8. पंचायती राज मंत्रालय (2022): ''वूमेन लीडरशिप इन पंचायतस : प्रोगेस एण्ड चैलेंजेस'', गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, पृ0 सं0–56–89.

9. राय, शिरीन एम. (2007): ''द जेंडर ऑफ डवलपमेंट : एस्से इन हॉप एण्ड डिसपेयर'', जुबान, नई दिल्ली, पृ0 सं0–145–176

10. निरंजना, एस. (2002): ''जेंडर एण्ड गवर्नेंस : वूमेन इन ग्रासरूट्स पॉलिटिक्स'', इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 37(2), पृ0 सं0–127–134.